न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 79/2024 प्रार्थनापत्र

01. डाउ लाल पुत्र श्री हजारी गुर्जर आयु वयस्क निवासी– बड़ी का बाडिया पटवार हल्का थाणा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
02. धन्ना लाल पुत्र श्री हजारी गुर्जर आयु वयस्क निवासी– बड़ी का बाडिया पटवार हल्का थाणा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
03. चुन्नी पुत्री श्री हजारी गुर्जर आयु वयस्क निवासी– बड़ी का बाडिया पटवार हल्का थाणा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. सणगारी पत्नी श्री हजारी गुर्जर आयु वयस्क निवासी– बड़ी का बाडिया पटवार हल्का थाणा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

–– प्रार्थीगण

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

–– विपक्षी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा– 129, 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश सिह तंवर –अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. पेरोकार सरकार –अधिवक्ता–विपक्षी

:: **निर्णय** :: दिनांक– 04./11/2024

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने धारा 129, 131, 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट का प्रार्थनापत्र इस आशय का पेश किया कि सरहद बड़ी का बाडिया पटवार हल्का थाणा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 1349 रकबा 0.3920 हैक्टयर भूमि जो राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज हुई है। विपक्षी की आराजी नम्बर 1355 राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 12/01/2024 को पटवार हल्का से राजस्व नक्शे की नकल प्राप्त की व ऑनलाईन नक्शे की नकल प्राप्त की तो प्रार्थीगण को जानकारी मे आया कि पटवार हल्का के यहां मौजूद नक्शा शीट अनुसार उक्त आराजियात को वर्तमान ऑनलाईन नक्शे मे अन्य जगह तरमीम कर रखी है, जो गलत है। प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा भी आराजी नम्बर 1349 मे ही है, उसी अनुसार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है, उसे नक्शा शीट अनुसार ऑनलाईन नक्शे मे तरमीम शुद्व की जावे। प्रार्थीगण द्वारा उक्त गलत तरमीम की जानकारी होने पर विपक्षी को पटवार हल्का के राजस्व नक्शे अनुसार ऑन लाईन नक्शे मे तरमीम करने हेतु निवेदन किया, जिस पर विपक्षी द्वारा सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करने आदेश लाने की बात कही गयी। न्यायहित मे गलत तरमीम को दुरूस्त कर कब्जे अनुसार तरमीम करायी जाना आवश्यक है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व विपक्षी को नोटिस जारी किया गया व विपक्षी द्वारा मौका रिपोर्ट व मौका नक्शा पेश की गयी व विपक्षी द्वारा जवाब पेश किया गया, जिसे शामिल पत्रावली की गई।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए पटवार हल्का के लट्टा शीट के अनुसार ऑनलाईन नक्शे मे तरमीम हेतु निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

मैने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री एवं दस्तावेजात रेकार्ड का अवलोकन किया। मौका रिपोर्ट अनुसार ऑनलाईन तरमीम एंव लट्ठा नक्शा शीट मे तफावट पायी गयी व मौका रिपोर्ट अनुसार गत व वर्तमान दोनो बन्दोबस्त के नक्शो को मिलान करने पर आराजी नम्बर 1349 की उत्तरी पूर्वी कोना आराजी नम्बर 1355 मे जाता है, जिसको नक्शा ट्रेस मे लाल सुर्खी से दर्शित कर रखा है। अतः लट्ठा शीट अनुसार ऑनलाईन नक्शे मे तरमीम नही होना व ऑन लाईन नक्शे मे गलत तरमीम होना प्रथमदृष्टया स्पष्टतया प्रतीत होता है। अतः पटवार हल्का के मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की भूमि ऑनलाईन नक्शे मे लट्ठा शीट अनुसार तरमीम नही होने से पटवार हल्का के मौका रिपोर्ट व संलग्न नक्शे अनुसार तरमीम होने पक्षकारो के हितो पर विपरीत प्रभाव नही पडेगा। अतः मौका रिपोर्ट मे वर्णितानुसार तरमीम करवाया जाना कराया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: **आदेश** ::

प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर सरहद बड़ी का बाडिया पटवार हल्का थाणा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 1349 रकबा 0.3920 हैक्टयर को लट्ठा शीट नक्शा अनुसार ऑनलाईन राजस्व नक्शे मे पटवार हल्का मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शे अनुसार व वर्णितानुसार (आराजी नम्बर 1349 के उत्तरी पूर्व कोने को आराजी नम्बर 1355 की तरफ रकबे अनुसार) तरमीम की जावे। इस आदेश की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर मय पटवार हल्का नक्शा जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें। मौका नक्शा की प्रति संलग्न है।

यह आदेश आज दिनांक 04.11.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)